



MOMENTUM
HARKHAND

Investment destination
FOR INVESTORS SUMMIT 2017
11-12, Quarry, Ranchi

कार्यालय - मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401

Telefax - 06541-223690, Email - cfchatra@gmail.com

सेवा में,

पत्रांक - 2971

दिनांक - 30.12.2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग रीजन हजारीबाग।

विषय-

सबानो (रानी पोखर) से केन्दु भवानी मठ तक पथ निर्माण हेतु 3.4324 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रासंग-

आपका पत्रांक 2971 दिनांक 30.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सबानो (रानी पोखर) से केन्दु भवानी मठ तक पथ निर्माण हेतु 3.4324 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2843 दिनांक 23.12.2016 द्वारा भेजा गया था, जिसे आपके कार्यालय पत्रांक 2971 दिनांक 30.12.2016 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। अनुमोदन के क्रम में दिये गये निदेशानुसार सभी प्रस्ताव के साथ चेकलिस्ट, पृष्ठ संख्या एवं अधोहस्ताक्षरी का पार्ट III एवं स्थलीय निरीक्षण संलग्न है, जो निम्नवत् है :-

चेक लिस्ट

1. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नवत् है :-

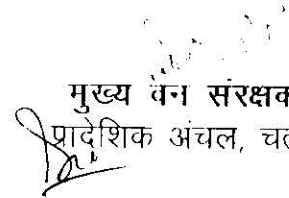
अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे० में)	गैरमजरूआ जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज वनभूमि का रकबा (हे० में)	प्रस्तावित वनभूमि का कुल रकबा (हे० में)
2.782	0.6504	3.432

2. प्रस्ताव के साथ अधोहस्ताक्षरी का स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पार्ट-3 संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 1A, 1B)
3. प्रस्ताव के साथ वन प्रमण्डल पदाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 01)
4. प्रस्ताव के साथ वन प्रमण्डल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रतिवेदन संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 02)
5. प्रस्ताव के साथ वन प्रमण्डल पदाधिकारी का पार्ट-2 संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 03 से 04 तक)
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव विहित प्रपत्र (पार्ट- 1) में समर्पित किया गया है तथा उसमें अभियुक्ति दर्ज है। (पृष्ठ संख्या 05 से 07 तक)
7. वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 08 से 39 तक)
8. प्रस्ताव के साथ Geo- reference, Boundary map in shape file of forest land for Sabano (Rani Pokhar) to Kendu (Bhawani Math) Via Mangardaha Bridge Road, Simaria संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 40 से 52 तक)
9. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण का Authorization पत्र संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 53)
10. प्रस्ताव के साथ पथ निर्माण के क्रम में एक भी वृक्ष नहीं काटे जाने से संबंधित बाध्यता प्रमाण पत्र संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 55)

11. प्रस्ताव के साथ एन0पी0भी0 राशि जमा करने से संबंधित बाध्यता प्रमाण-पत्र संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 56)
12. प्रस्ताव के साथ गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि का उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल एवं इस कार्यालय द्वारा कई पत्र देने के बावजूद उपायुक्त, चतरा से अनापति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण-पत्र (Undertaking) दिया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 57)
13. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं गैज मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि विवरणी संलग्न है जिसमें अधलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। (पृष्ठ संख्या 58 A & 58 B)
14. प्रस्ताव के साथ डी0पी0आर0 संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 59 से 78 तक)
15. प्रस्ताव के साथ टोपो मैप संख्या G45S16 एवं F45A13 स्केल 1:50000 पर पथ निर्माण को दिखाते हुये संलग्न किया गया है। (पृष्ठ संख्या 79 से 80 तक)
16. प्रस्ताव के साथ ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 81 से 99 तक)
17. वर्ष 1911-12 का ग्राम मानचित्र पर पथ निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले मौजा मैप पर पथ को दर्शाते हुये संलग्न किया गया है। (पृष्ठ संख्या 100 से 102 तक)
18. पथ निर्माण हेतु प्रस्तावित वनभूमि नेशनल पार्क, बायोडायवरसिटी, वन्य प्राणी आश्रयणी आदि का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव की पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न भेजते हुए अनुरोध है अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

 मुख्य वन संरक्षक,
 प्रादेशिक अंचल, चतरा।

